इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी
Indira Gandhi National Forest Academy

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change

No. /NFA-2019/40.21/MCT Phase-III(4) (3rd Cycle) **Date: .06.2019**

To

The Chief Secretary
Government of Chhattisgarh
DKS Bhawan, Mantralaya
Raipur-492001, Chhattisgarh

Sub: Phase-III(4) of the Mid-Career Training (MCT) programme for Indian Forest Service officers nominations – regarding.

Sir,

This is to inform you that as a part of civil services reforms, the Ministry of Environment, Forest& Climate Change(MoEF&CC), Government of India had approved the Phase – III of the Mid Career Training (MCT) programmes for the IFS officers having 26-28 years seniority in accordance with the recent DoPT guidelines.

The fourth course of the Phase – III of the MCT programme for the IFS officers of1991, 1992& 1993 batches and the senior officers who missed the course in the past, is being organized by Indira Gandhi National Forest Academy (IGNFA) as per the following schedule: -

Duration	Management Module at IIM,Bangalore	Forestry Module at IGNFA
26th August to 07th September, 2019 (2 weeks)	26th to 31st August, 2019 (1 week)	02nd to 07th September, 2019 (1 week)

2. The IGNFA has finalized the nominations, for the aforesaid Course, that exclude the officers having less than three years of service left after the year in which he/she is supposed to undergo MCT.

Accordingly, a list of 128 officers has been finalized. The officers in the Waiting list, from Sl. no. 61 – 128, could be invited to attend the course, only if any of the first sixtyofficers drops out or shows his/her unavailability; else, these officers would be invited in the next course.

The complete list of the officers, for whom the registration has been opened as the first offer and as the second offer, is attached as Annexure-'A'.*The officers who have missed the earlier two offers to participate in the MCT programme, may approach the MoEF&CC through the state government for seeking approval for the third offer. The list of such officers is attached as Annexure-'B'.*

While preparing the list, the latest IFS Civil List – 2018available at the MoEF&CC website has been used. However, the concerned administrative department and the Cadre Controlling Authority may kindly go through the Annexure-'A' and arrange to nominate those eligible officers pertaining to the YoA and meeting the criteria of the MCT programme and their name is missed out in the list due to mistake in the source document.

The IGNFA shall incorporate these names in the subsequent list of nominations after getting confirmation from the MoEF&CC. The State Governments are, however, requested to convey the approval of participation for all the officers from their states figuring in the listso that further approval may not be required while including the officers from the waiting list.

3. As the above training programmes are being organized in association with the National institutions of high repute and also involve tour component within the country, participation of individual officer needs to be

डाकघर न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006
P.O. New Forest, Dehradun - 248006
दूरभाष : 0135–2757316
Phone : 0135 - 2754647
फैक्स : 0135–2757314
Email : director@ignfa.gov.in
Website : http://www.ignfa.gov.in

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी
Indira Gandhi National Forest Academy

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change

सं. 583 रा.व.अ.-2019/40.21/एमसीटी फेज-III(4)(तीसरा चक्र)

दिनांक: 19.06.2019

सेवा में,

मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ सरकार
डीकेएस भवन, मंत्रालय
रायपुर-492001, छत्तीसगढ़

विषय: **भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए मिड कैरियर ट्रेनिंग (एमसीटी) के फेज-III(4) के लिए नामांकन के संबंध में।**

महोदय,

सूचित किया जाना है कि सिविल सेवाओं की सुधार प्रक्रिया के एक अंग के रूप में, डीओपीटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 26-28 वर्षों की सेवा-वरिष्ठता वाले भा.व.से. अधिकारियों के लिए मिड कैरियर ट्रेनिंग के फेज-III का अनुमोदन किया गया है।

1991, 1992 और 1993 बैचों के साथ अन्य वरिष्ठ बैचों के उन अधिकारियों, जो विभिन्न कारणों से पहले इस पाठ्यक्रम में भाग नहीं ले पाए, के लिए एम.सी.टी. कार्यक्रम के फेज़-III के चतुर्थ पाठ्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी द्वारा निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाएगा –

अवधि	प्रबंधन मॉड्यूल आई.आई.एम. बेंगलूर	वानिकी मॉड्यूल आई.जी.एन.एफ.ए.
26 अगस्त से 07 सितम्बर, 2019 (2 सप्ताह)	26 से 31 अगस्त, 2019 (1 सप्ताह)	02 से 07 सितम्बर, 2019 (1 सप्ताह)

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी द्वारा उपर्युक्त पाठ्यक्रम के लिए नामांकन सूची तैयार कर ली गई है जिसमें ऐसे अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है जिनकी शेष सेवा उनके एमसीटी में संभावित प्रतिभाग के वर्ष के उपरांत तीन वर्ष से कम है।

तदनुसार, इस पाठ्यक्रम के लिए 128 अधिकारियों के नाम निश्चित किए गए हैं। इसके क्रम संख्या 61 से 128 तक प्रतीक्षा सूची में शामिल अधिकारियों को पाठ्यक्रम के लिए तब आमंत्रित किया जाएगा जब पहले साठ अधिकारियों में से कुछ इसमें भाग न लें अथवा भाग लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त करें। अन्यथा, इन अधिकारियों को अगले पाठ्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा।

जिन अधिकारियों के लिए पहले और दूसरे प्रस्ताव में पंजीकरण खोला गया है, उनकी पूरी सूची **'संलग्नक-ए'** के रूप में संलग्न है। *ऐसे अधिकारी जो एमसीटी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व में दिए गए दो अवसरों पर चूक गए हैं, वे अपने लिए तीसरे अवसर के अनुमोदन हेतु संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अधिकारियों की सूची **'संलग्नक-बी'** के रूप में संलग्न है।*

प.व.ज.प.मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम आई.एफ.एस. सिविल लिस्ट-2018 के आधार पर यह सूची तैयार की गई है, तथापि, संबंधित प्रशासनिक विभाग और संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे 'संलग्नक-ए' का अवलोकन कर ऐसे पात्र अधिकारियों को नामित करने की कार्रवाई करें जो उपर्युक्त आबंटन वर्ष के दायरे में आते हैं और एम.सी.टी. कार्यक्रम में नामांकन हेतु अन्य योग्यताएँ भी रखते हों किन्तु मूल दस्तावेज में किसी गलती के कारण उनके नाम इस सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं।

प.व.ज.प.मंत्रालय से पुष्टि होने पर अकादमी द्वारा इन नामों को अगली नामांकन सूची में शामिल कर लिया जाएगा। राज्य सरकारों से अनुरोध है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देते समय वे कृपया संलग्न सूची में शामिल अधिकारियों में से अपने राज्य के सभी अधिकारियों की प्रतिभागिता की अनुमति प्रदान करें ताकि प्रतीक्षा सूची से किसी अधिकारी की प्रतिभागिता के लिए पुन: स्वीकृति लेने की आवश्यकता न हो।

3. चूंकि उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न विख्यात राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं और इसमें देश के अंतर्गत कराए जाने वाले दौरे भी शामिल हैं, अत: आवश्यक है कि नामित अधिकारी की प्रतिभागिता की पुष्टि उनके संबंधित राज्यों

डाकघर न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006
P.O. New Forest, Dehradun - 248006
दूरभाष : 0135–2757316
Phone : 0135 - 2754647
फैक्स : 0135–2757314
Email : director@ignfa.gov.in
Website : http://www.ignfa.gov.in

confirmed well in advance both by the concerned states as well as by the participants themselves. This may kindly be done latest by 15.07.2019. It is also mentioned that keeping in view the advance ticket booking and other commitments involved in the conduct of the training programme, it would not be possible to change any confirmed nomination at a later stage.

4. You are requested to direct the concerned officers about the programme details and ask them to be in complete readiness. The IGNFA has provided a link on its portal (www.ignfa.gov.in) with the details regarding the registration. The officers may also be directed to act accordingly & complete the registration latest by 15.07.2019.

Further, the States are also requested to take advance action to ensure release of the nominated officers in time to enable them to join the training programme on 26.08.2019 at the IIM, Bangalore. **During the programme, the participants will be provided single accommodation and under no circumstances the family members would be allowed to accompany during the entire training programme including study visits. This may clearly be brought to the notice of officers so that they do not face embarrassment on this issue.**

Since the MCT programme is no leave training, the officers may be advised not to carry any liability during the training period of 26.08.2019 to 07.09.2019 since absence from the training would not be allowed.

5. Further, it is worth mentioning that the IFS (Pay) Rules have been revised, vide notification no. 20011/1/2006-AIS-II dated 21.02.2008 and its amendment through IFS (Pay) Second Amendment Rules, 2008 vide notification no. 14021/3/2008-AIS-II dated 27.09.2008, to make successful completion of MCT programmes compulsory for award of increments to the concerned officers. Therefore, it would be the responsibility of the concerned State Government and the officers themselves to be in a position to attend the programme as and when they are invited for the training programme. Failure to attend the said training, without approval of MoEF&CC, would mandatorily attract the consequences laid down in the IFS (Pay) Rules, for which the IGNFA or the MoEF&CC shall not be responsible.

Yours faithfully,

Encl: As above

18-6-2019

(Omkar Singh)
Director, IGNFA

Copy for information and necessary action to:

1. The Principal Secretary, Deptt. of Forest, Law and Legislative Affairs, Govt. of Chhattisgarh.
2. The Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, Deptt. of Forests, Govt. of Chhattisgarh with a request to kindly direct the officers nominated for the course to visit the IGNFA website **www.ignfa.gov.in** for further details and complete their registration, which is compulsory.

द्वारा और स्वयं अधिकारियों द्वारा समय रहते कर दी जाए। कृपया यह पुष्टि अधिकतम **15.07.2019** तक अवश्य कर दी जाए। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अग्रिम टिकट बुकिंग तथा अन्य प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पुष्ट किए गए नामांकनों में अंतिम समय में बदलाव करना संभव नहीं होगा।

4. आई.जी.एन.एफ़.ए. द्वारा अपने पोर्टल (www.ignfa.gov.in) पर पंजीकरण संबंधी विवरण सहित एक लिंक उपलब्ध कराया गया है। कृपया संबन्धित अधिकारियों को तदनुसार कारवाई करने और **15.07.2019** तक अनपन पंजीकरण अवश्य कर लेने हेतु भी निर्देशित करें।

साथ ही, राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध है कि नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु समय से कार्यमुक्त करने संबंधी कार्रवाई अग्रिम रूप से कर लें ताकि वे 26.08.2019 को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), **बेंगलूर** में प्रबंधन मॉड्यूल में भाग लेने हेतु उपस्थित हो सकें। **कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को एकल आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और किसी भी परिस्थिति में प्रशिक्षण अवधि और अध्ययन दौरों के समय उन्हें अपने परिजनों को साथ रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया यह बात सभी अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाए ताकि उन्हें इस संबंध में किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े।**

चूंकि एम.सी.टी. कार्यक्रम एक गैर-अवकाश प्रशिक्षण कार्यक्रम है; अतः कृपया अधिकारियों को यह सलाह दें कि वे 26.08.2019 से 07.09.2019 के प्रशिक्षण अवधि के बीच कोई ज़िम्मेदारी न लें क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि दिनांक 21.02.2008 की अधिसूचना सं. 20011/1/2006-AIS-II के द्वारा भा.व.से. (वेतन) नियमावली का पुनरीक्षण किया गया है; तथा दिनांक 27.09.2008 की अधिसूचना सं. 14021/3/2008-AIS-II के द्वारा जारी **भा.व.से. (वेतन) द्वितीय वेतन संशोधन नियमावली 2008** के द्वारा इसमें हुए संशोधन के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आगे की पदोन्नतियाँ प्राप्त करने के लिए इन एमसीटी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करना आवश्यक है। अतएव, यह राज्य सरकार एवं स्वयं संबंधित अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि वे प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किए जाने पर तय कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित हों। प.व.ज.प. मंत्रालय के स्पष्ट अनुमोदन के बिना उक्त प्रशिक्षण में उपस्थित रहने में असफल होना संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भा.व.से. (वेतन) नियमावली में उल्लिखित कार्रवाई को आकर्षित करेगा जिसके लिए यह अकादमी अथवा प.व.ज.परि. मंत्रालय उत्तरदायी नहीं होगा।

भवदीय,

संलग्नक – यथोपरि

18-6-2019

(ओमकार सिंह)
निदेशक, इं.गां.रा.व.अ.

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति –

1. प्रमुख सचिव,वन,विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ वन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार – इस निवेदन के साथ कि कृपया उपर्युक्त पाठ्यक्रम के लिए नामित अधिकारियों को अन्य सूचनाओं एवं अपने पंजीकरण को पूर्ण करने हेतु इं.गां.रा.व.अ. की वेबसाइट **www.ignfa.gov.in** देखने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें। पंजीकरण अनिवार्य है।